संचिका सं०-3-4-प्रो.-03/2003 7020 वि (एस)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

श्री सुनील प्रसाद श्रीवास्तव,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।

पटना, दिनांक 28.12.2005

विषय : भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की अनुमान्यता के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2074 दिनांक 4.4.85 एवं 1082 दिनांक 22.02.88 द्वारा मार्गदर्शक निर्णय संसूचित किए गए थे।

2. वित्त विभागीय परिपत्र सं. 1082 दिनांक 22.2.88 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयास के बावजूद ससमय नियमित अत्यावश्यक हो तो निरन्तर वेतनमान के योग्य पदाधिकारी को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया जा सकता है। उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने के पूर्व प्रशासी विभाग द्वारा वरीयता सह योग्यता अथवा लागू संवर्गीय नियमावली के क्रम में निर्धारित अर्हता प्राप्त पदाधिकारियों की सूची बनाकर आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की नीतियों का अनुपालन करते हुए उक्त सूची से बिहार सेवा संहिता के नियम 103-क के अधीन निम्नतर वेतनमान के संबंधित पदाधिकारी को उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करना है तथा नियमित प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति की इस बिन्दु पर स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त करनी है कि कार्यकारी प्रभार ग्रहण करने अथवा तदर्थ प्रोन्नति की तिथि से संबंधित पदाधिकारी का उच्चतर पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाय या नहीं। विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की अनुकूल अनुशंसा प्राप्त होने पर कार्यकारी प्रभार ग्रहण की तिथि से उच्चतर पद पर प्रोन्नति दी जा सकती है, किन्तु वित्त विभाग के समक्ष इन दिनों भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के प्रस्ताव रूटीन तरीके से प्राप्त हो रहे हैं तथा भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के कारण बिना कार्य कराए संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को उच्चतर वेतनमान में वेतन भुगतान करना पड़ रहा है। यह स्थिति वांछनीय नहीं है।

3. सामान्य परिस्थितियों में प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रोन्नति का लाभ बिहार सेवा संहिता के नियम 58 के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से ही अनुमान्य हो सकता है। यह तभी संभव है, जब प्रशासी विभाग उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए अग्रिम योजना बनाकर प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि संबंधित सरकारी सेवकों को ससमय प्रोन्नति

का लाभ प्राप्त हो सके तथा भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के फलस्वरूप उच्चतर पदों के वेतनमान में वेतन भुगतान की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रोन्नति देने के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 7457 दिनांक 11.09. 2002 तथा पत्रांक 7895 दिनांक 14.09.2004 द्वारा अनुदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

4. यदि संबंधित विभाग उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की अग्रिम योजना बनाकर ससमय प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित करें तो भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का कोई कारण नहीं रह जाता है। तथापि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की नितांत आवश्यकता होती हो तो निम्नांकित परिस्थितियों में ही भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति अनुमान्य की जा सकती है :-

(क) यदि किसी संवर्ग के कनीय पदाधिकारी को किसी कारणवश प्रोन्नति दे दी जाए तथा वरीय पदाधिकारी किन्हीं कारणों से प्रोन्नति से वंचित रह जायें एवं बाद में प्रोन्नति के योग्य पाए जाए तो ऐसी स्थिति में कनीय पदाधिकारी की प्रोन्नति के उपरान्त योगदान की तिथि से वरीय पदाधिकारी को, आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति अनुमान्य की जायेगी वशर्ते कि विलम्ब से प्रोन्नति के लिए वरीय पदाधिकारी की स्वयं की कोई गलती न हो जैसे वार्षिक अभ्युक्तियों के लिए आऊट टर्न समय पर नहीं दिया जाना, विभागीय कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग नहीं करना आदि।

(ख) वरीयता पुनरीक्षण के कारण यदि कोई कनीय कर्मी वरीय हो जाता है तो नव वरीय पदाधिकारी को उनसे ठीक कनीय की प्रोन्नति की तिथि से वैचारिक प्रोन्नति अनुमान्य की जाएगी तथा कनीयतम की प्रोन्नति रद्द कर दी जायेगी किन्तु पूर्व में प्रोन्नति पा लेने के कारण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई वरीयता पुनरीक्षण का आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर पूरी कर ली जायगी। निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्रवाई पूरी नहीं होने पर विलम्ब के कारण यदि अधि क भुगतान करना पड़ता है तो विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति से राशि की वसूली की जायगी।

(ग) उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त पदाधिकारी के उपलब्ध होने के बावजूद यदि किसी कारणवश ससमय प्रोन्नति देना सम्भव न हो, तो पद की उपलब्धता, वरीयता, आरक्षण एवं प्रोन्नति के लिए पदाधि कारी की अर्हता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया जा सकता है तथा बाद में नियमित प्रोन्नति पर विचार करते समय यदि विभागीय प्रोन्नति समिति कार्यकारी प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति देने की स्पष्ट अनुशंसा करती है तो कार्यकारी प्रभार ग्रहण करने की विधि से अधि क लाभ के साथ नियमित प्रोन्नति अनुमान्य की जा सकेगी।

(घ) भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति उपर्युक्त (क) एवं (ग) के प्रावधान के अधीन सेवारत एवं सेवा निवृत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगी।

(ङ) यदि किसी मामले में उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किये वगैर उच्चतर पद का प्रभार दिया जाता है, तो वैसे मामलों में उच्चतर पद का वेतनमान अनुमान्य नहीं है। इस प्रकार के मामले बिहार सेवा संहिता के नियम 103 के अधीन विनियमित किए जाएंगे तथा अतिरिक्त प्रभार के रूप में उच्चतर पद के दायित्व

निवार्ह के लिए संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित निम्न पद का प्राप्त मूल वेतन का 20 प्रतिशत अधि कतम 250 रुपये की स्वीकृति दी जा सकेगी।

(च) दिनांक 01.01.96 से पूर्व लागू प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत देय प्रोन्नतियों के लिए वित्त विभाग के परिपत्र सं. 2074 दिनांक 04.04.05 के प्रावधान पूर्ववत् ही रहेंगे।

उपर्युक्त सभी मामले में अधिक लाभ की मंजूरी वित्तीय नियमावली के नियम 74 के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् ही दी जा सकेगी।

उपर्युक्त निर्णय आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा पूर्व में निष्पादित हो चुके मामलों पर इस आधार पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। इस हद तक पूर्व के सभी आदेश संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन
(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7020 दिनांक 24.12.05

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द पटेल पथ, पटना। सभी जिला लेखा पदाधिकारी/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव।